UPBG010011892026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या–01, बागपत।

उपस्थितः– पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा,

जे०ओ०कोड– यू०पी० 6104

सत्र परीक्षण संख्या– 566/2026

सरकार बनाम बिजेन्द्र

मु०अ०सं०– 26/2013
अं० धारा– 60/72(2) आबकारी अधिनियम
व धारा 272 भा०दं०सं०
थाना– चाँदीनगर, जिला बागपत।

आदेश

1– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **बिजेन्द्र पुत्र महा सिंह**, निवासी ग्राम जरियल, थाना माडल टाउन पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा बदस्तूर फरार चल रहा है। पत्रावली धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही में चल रही है। अभियोजन के द्वारा मामले में साक्षी **पी०डब्ल्यू० 01** एस० आई० अशोक कुमार, साक्षी **पी०डब्ल्यू० 02** हेड का० अजीत सिंह व साक्षी **पी०डब्ल्यू० 03** सेवानिवृत्त सूरज सिंह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं के अनुक्रम में अभियुक्त के घर पर दबिश दी गयी तो आस–पास के ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अभियुक्त बिजेन्द्र अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति बेचकर करीब 12 वर्ष पूर्व गाँव से चला गया है, जिसका आना–जाना गाँव में नहीं है। वर्तमान समय में बिजेन्द्र कहाँ रह रहा है, किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त बदस्तूर फरार चल रहा है तथा गाँव छोड़कर कहीं चला गया। गाँव में अभियुक्त की कोई चल–अचल सम्पत्ति भी नहीं है और उसके निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की संभावना भी नहीं है।

2– उक्त के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से साक्षी **पी०डब्ल्यू० 01** एस० आई० अशोक कुमार, साक्षी **पी०डब्ल्यू० 02** हेड का० अजीत सिंह व साक्षी **पी०डब्ल्यू० 03** सेवानिवृत्त सूरज सिंह का साक्ष्य भी अंकित कराया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू० 01 एस०आई० अशोक कुमार ने अपने बयानों में इस पत्रावली से सम्बन्धित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या– 448/2013 की पत्रावली पर उपलब्ध **फर्द बरामदगी कागज संख्या 4अ/3 को प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि इस स्तर पर अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं करना है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात पुनः साक्षी तलब कराये जाएँगे।

3– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह भी जानकारी दी गयी है कि जनपद बागपत व आसपास के जनपदों की पुलिस अभियुक्त का पता नहीं लगा पा रही है और न ही उसे गिरफ्तार कर पा रही है। अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभियोजन के साक्षीगण का साक्ष्य अभिलिखित कराकर साक्ष्य समाप्त कर दिया गया है। अभियुक्त के उपस्थित/गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध साक्षी **पी०डब्ल्यू० 01** एस० आई० अशोक कुमार, साक्षी **पी०डब्ल्यू० 02** हेड का० अजीत सिंह व साक्षी **पी०डब्ल्यू०**

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.07.04 16:01:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

03 सेवानिवृत्त सूरज सिंह का साक्ष्य उस स्थिति में पढ़ा जायेगा, जबकि अभिसाक्षी मर गया हो अथवा साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो अथवा मिल नहीं पा रहा हो। अभियुक्त के उपस्थित होने पर शेष साक्ष्य कराया जाएगा।

4– अभियुक्त **बिजेन्द्र पुत्र महा सिंह**, निवासी ग्राम जरियल, थाना माडल टाउन पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा के विरुद्ध स्थायी वारण्ट जारी कर संबंधित थाने तथा पुलिस अधीक्षक, बागपत कार्यालय को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाये। पत्रावली तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो। पत्रावली विनिष्ट नहीं की जायेगी।

दिनांक : 04.07.2026

पूनम राजूपत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या–01, बागपत।